## महत्वपूर्ण एवं खास

### थाना सारंगढ़, धरमजयगढ़ में अवैध कच्ची महुआ पर कार्यवाही

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना सारंगढ़ एवं धरमजयगढ़ स्टाफ द्वारा अवैध बिक्री के लिये कच्ची महुआ शराब रखे हुये दो आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। जानकारी के अनुसार थाना सारंगढ़ में पदस्थ प्रधान आरक्षक जयराम सिदार एवं हमराह आरक्षक द्वारा कपिस्दा (ब) में तालाब के पास गोपाल साहू पिता अनंतराम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी कपिस्दा(ब) को 07 लिटर कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़े। आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) 59(क) के तहत कार्यवाही किया गया है। थाना धरमजयगढ़ स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोदवारी निवासी आनंद कुमार राठिया पिता स्व. बुधनाथ राठिया उम्र 35 वर्ष के घर दबिश दिया गया, धरमजयगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घर पर अवैध रूप से शराब बिक्री करता है। रेड कार्यवाही दौरान आरोपी अपने घर से 10 लिटर महुआ शराब निकालकर पेश किया, जिसे जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

### बरमकेला पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना बरमकेला में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक विजय गोपाल को मुखबीर से सूचना मिला की शौकी लाल कुम्हार निवासी हेडसपाली अपने घर पर महुआ शराब लाकर अवैध रूप से बिक्री करता है, सूचना पर सउनि विजयगोपाल व हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम हेडसपाली बरमकेला निवासी शौकी लाल कुम्हार के घर शराब रेड कार्यवाही किया गया। इस दौरान आरोपी शौकी घर के बाड़ी में बाहर से खरीद कर ला कर रखा हुआ 30 लीटर महुआ शराब को जप्त किया गया है। आरोपी शौकी लाल पिता स्वर्गीय समारू कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी हेडसपाली थाना बरमकेला के विरुद्ध थाना बरमकेला में धारा 34(1)(क)2, 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

# नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर अवैध शराब, जुआ, कबाड़ पर कार्यवाही हुई तेज

## जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध कबाड़ व अवैध शराब विक्रेताओं पर हुई कई कार्यवाहियां

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिले में नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले का पदभार लेने के बाद सोशल पुलिसिंग के तहत आम जन के बीच पुलिस की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के साथ साथ पुलिसिंग के बेसिक कार्य अपराधों पर कमी लाने हेतु लघु एवं प्रतिबंधक कार्यवाही अधिक से अधिक किये जाने का निर्देश सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को दिया गया है, इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुये दिनांक 23.08.19 को जिले के विभिन्न थानों में अवैध शराब, कबाड़ी, जुआ-सट्टा पर उल्लेखनीय कार्यवाही की गई है। जिले में एक ही दिन अवैध कबाड एवं इमारती लकड़ी परिवहन के 02 प्रकरण, जुआ सट्टा के 04 तथा आबकारी एक्ट के 14 प्रकरणों की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

### अवैध कबाड़ परिवहन पर कार्यवाही

(1) थाना लैलूंगा द्वारा मुखबिर सूचना पर रात्रि स्टेट बैंक लैलूंगा के पास स्वराज माजदा एमएफ-1700 में लोड करीब 5 टन लोहे का कबाड पकड़ा। आरोपीगण (1) दिलीप बघेल पिता देवनाथ बघेल उम्र 28 वर्ष (2) राजू लहरे पिता नेतराम लहरे उम्र 44 वर्ष दोनो निवासी गोढीकला भूडपारा थाना पत्थलगांव के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/19 धारा 41(1+1)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही की गई।

### सागौन लकड़ी का अवैध परिवहन

(1) चौकी खरसिया द्वारा सूचना पर हमालपारा पुराना फाटक के बोलेरो वाहन सीजी 18 टी-0182 में लोड 04 नग सागौन लकड़ी कीमती 20 हजार रूपये अवैध परिवहन करते पकड़े। आरोपी वाहन चालक संजय शांडिल्य पिता साधराम उम्र 32 वर्ष निवासी सारसमाल थाना छाल के विरूद्ध इस्तगासा धारा 41(1+1)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही की गई।

### जुआ-सट्टा पर कार्यवाही

(1) चौकी खरसिया - छपरीगंज खरसिया निवासी संजय अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 41 साल को सट्टा पट्टी लिखते 08 पन्ना, नगदी रकम 5500/रू के साथ पकड़े, आरोपी के अप.क्र. 348/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही।

(2) थाना घरघोड़ा - चारमार घरघोड़ा निवासी विमल गुप्ता पिता हेमसागर गुप्ता उम्र 30 वर्ष से 2050 रूपये सट्टा-पट्टी बरामद आरोपी के अप.क्र. 147/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही।

(3) थाना सारंगढ़ - नेगी तालाब पास सारंगढ के पास आरोपी विष्णु सिदार पिता अजीत सिदार उम्र 26 वर्ष निवासी फुलझरियापारा सारंगढ से नगदी रकम 4600 रूपये एवं सट्टा पट्टी जप्त आरोपी के अप.क्र. 362/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही।

(4) थाना घरघोड़ा - ग्राम उकारीपाली बीच बस्ती में खुड़खुड़िया पट्टी पर जुआ खेलाने वाले से नगद 1060 रूपये खुडखुडिया सामाग्री जप्त आरोपी के अप.क्र. 148/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही।

### आबकारी एक्ट की कार्यवाही

(1) थाना सारंगढ़ - आरोपी गोपाल साहू पिता अनंतराम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी कपिस्दा(ब) से 07 लिटर कच्ची महुआ शराब जप्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) 59(क) के तहत कार्यवाही।

(2) थाना धरमजयगढ़ - आरोपी आनंद कुमार राठिया पिता स्व. बुधनाथ राठिया उम्र 35 वर्ष के घर से 10 लिटर कच्ची महुआ शराब जप्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही।

(3) थाना कोतवाली - आरोपी प्यारे लाल सारथी पिता दुकालू लाल सारथी उम्र 50 वर्ष सा0 जोगीडीपा रायगढ से 21 नग किंग फिसर ब्रांड वाली बॉटल तथा 06 नग 180 एमएल वाली देशी मदिरा प्लेन शराब जप्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) क, (2) 59(क) के तहत कार्यवाही।

(4) थाना चक्रधरनगर- आरोपी मोह. समीम पिता मोह. मोयुद्दीन उम्र 62 वर्ष निवासी बाजीराव महरापारा चौकी जूटमिल से अंग्रेजी शराब 35 बाटल किंगफिसर स्ट्रोग बियर बॉटल जप्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) क, (2) 59(क) के तहत कार्यवाही।

(5) थाना बरमकेला - आरोपी आरोपी शौकी लाल पिता स्वर्गीय समारू कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी हेडसपाली थाना बरमकेला से 30 लिटर कच्ची महुआ शराब जप्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)क(2), 59(क) के तहत कार्यवाही।

(6) थाना कोसीर - आरोपी नवधा यादव पिता दरश यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर से 35 लिटर कच्ची महुआ शराब जप्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)क(2), 59(क) के तहत कार्यवाही।

उपरोक्त आबकारी एक्ट के अतिरिक्त थाना तमनार में 02, चौकी जुटमिल, भूपदेवपुर, कापू, लैलूंगा, धरमजयगढ़ एवं सारंगढ़ में 1-1 प्रकरणों की कार्यवाही किया गया है।

# हत्या के प्रकरण में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास का दंड

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** माननीय विशेष न्यायधीश (एट्रोसिटी एक्ट) रायगढ़ की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा हत्या एवं एट्रोसिटी एक्ट के मामले में आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास के दंड से दंडित की हैं।

अभियोजन के अनुसार मृतक ग्राम लेन्ध्रा इंदिरा आवास पारा थाना बरमकेला निवासी रामचरण भोय सांवरा जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है जो अपने परिवार सहित निवासरत था। उसी के घर के पास आरोपी पुनीत डनसेना पिता भीखाराम जनसेना उम्र 56 वर्ष एवं उसकी पुत्र रामजी उर्फ सोनू डनसेना उम्र 28 वर्ष का घर स्थित है। आरोपी पुनीत डनसेना के द्वारा रामचरण भोय के घर बाड़ी तरफ मिट्टी डालकर घर बाड़ी पर कब्जा किया जा रहा था जिस कारण आरोपीगण एवं रामचरण भोय के बीच घटना के एक सप्ताह से वाद-विवाद हो रहा था। रामचरण भोय के द्वारा पुनीत डनसेना से मेरी जमीन पर क्यों कब्जा कर रहे हो कहे जाने पर दिनांक 09.05.2018 की रात्रि करीब 10ः00 बजे आरोपी पुनीत एवं आरोपी रामजी उर्फ सोनू द्वारा मृतक के घर में प्रवेश कर हाथ में रखे डंडे से रामचरण के साथ मारपीट किए जब रामचरण जमीन पर गिर गया तब आरोपी रामजी उर्फ सोनू के द्वारा रामचरण के सीना में बैठकर अपने हाथ में रखे ईट से छाती एवं माथे में मारपीट किया।

इस दौरान बीच-बचाव के लिए मृतक की पत्नी और पुत्र आये जिनके साथ भी आरोपीगण मारपीट किए। मारपीट के कारण आई चोट की वजह से रामचरण की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी। दिनांक 10.05.2018 को सूचनाकर्ता की सूचना पर थाना बरमकेला में मर्ग क्रमांक 10/18 तथा अपराध क्रमांक 87/18 धारा 456, 302, 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री श्यामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के महापुरुषों पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Topper Students Last Session

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

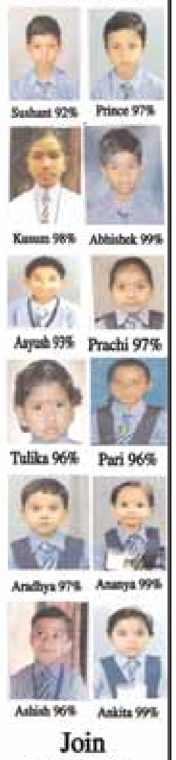


Join CAREER...
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes....
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480